बिहार सरकार
<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>

पत्रांक – वि० प्रा० (II) स्था०–32/2018/ /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/वि०का०पदा०,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/
सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय – संविदा पर नियुक्त शैक्षणिक यथा सहायक प्राध्यापक/व्याख्याताओं/गैर शैक्षणिक यथा अनुदेशक/तकनीकी सहायको एंव अन्य कर्मियों का अवधि विस्तार करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके संस्थान्तर्गत विभिन्न संकायों में संविदा के आधार पर नियोजित सहायक प्राध्यापक/व्याख्याताओं एवं गैर–शैक्षणिक यथा तकनीकी सहायकों/अनुदेशकों एवं अन्य का नियोजन अवधि समाप्त हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12534 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों के अवधि विस्तार किए जाने पर मार्गदर्शन एवं इससे संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिक्षीत है।

उक्त के आलोक में पठन–पाठन एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए संविदा पर नियोजित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदो पर नियोजित कर्मियों की सेवा अवधि आगामी एक माह के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/–

विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (II) स्था०–32/2018/** 2871 **/पटना, दिनांक–** 15-10-2018
प्रतिलिपि – आई.टी. मैनेजर (अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/18

विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

पप्पू/सेक्सन–2/15.10.18